कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, गोण्डा।

पत्रांक /जि0का0अधि0/विज्ञापन/2025–26/दिनांक 12, नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 1/1092245/2025/3313/ 58–1–2025 (197687)दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद गोण्डा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओ में ऑगनबाड़ी सहायिका के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदो का परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	आंगनबाड़ी सहायिका के कुल स्वीकृत पदों का आरक्षण वार विवरण				
			सामान्य जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसुचित जाति	अनुसुचित जनजाति जाति	कुल पद
1	वजीरगंज	47	23	15	09	0	47
2	तरबगंज	30	11	10	09	0	30
3	रूपईडीह	46	23	13	10	0	46
4	परसपुर	44	20	12	12	0	44
5	पण्डरी कृपाल	41	19	09	13	0	41
6	नबाबगंज	34	18	11	05	0	34
7	मुजेहना	46	19	12	15	0	46
8	मनकापुर	39	19	10	10	0	39
9	कटरा बाजार	39	20	12	07	0	39
10	झंझरी	48	26	15	07	0	48
11	इटियाथोक	41	20	12	09	0	41
12	हलधरमऊ	30	16	07	07	0	30
13	शहर	52	18	08	23	03	52
14	कर्नलगंज	41	20	11	10	0	41
15	छपिया	41	21	11	09	0	41
16	बेलसर	41	25	08	08	0	41
17	बभनजोत	65	28	20	17	0	65
	योग	**725**	**346**	**196**	**180**	**03**	**725**

उपरोक्त पदो का ग्रामवार/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञापित पदो की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1. विज्ञापित पदो पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
2. चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3313/ 58–1–2025 (197687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित प्रकिया के अधीन होगी।
3. ऑगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यत इण्टमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी।
4. आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रो में वार्ड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है, परन्तु अर्ह आवेदक के न मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर से चयन किया जायेगा
5. आवेदिक की आयु 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
6. विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता को शासनादेशानुसार वरीयता दी जायेगी।

7. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगे।
8. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2021(यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2, उ0प्र., शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर(यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
9. विज्ञापित पदो हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर आनलाईन आवेदन निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होगें। आफलाईन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नही किये जायेगे।
10. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्वक भरना होगा। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उललेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हो।
11. उपरोक्त विज्ञापित पदो की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रकिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी(बाल विकास) गोण्डा से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार प्राप्त की जा सकती है।
12. आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 03.12.2025 रात्रि 12:00 बजें तक होगी।
13. रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

(संजय कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गोण्डा।

पृष्ठांकन संख्या C-2041/तद्दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा।
4. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रो में निशुल्क कराना सुनिश्चित करे।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को रिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रो की सूची एवं संबंधित विज्ञापन पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया NIC की वेबसाइट पर प्रचार प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करे।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति की प्रति खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करे।
7. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गोण्डा।